5/12/2019----जनगणना नगर वैधानिक शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में परिवर्तित (Census Town Changed into Statutory Urban Local Bodies)- Translation in Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Punjabi, Sindhi, Sindhi, Tamil, Telgu - Examrace----Downloaded from examrace.com

Visit examrace.com for free study material, doorsteptutor.com for questions with detailed explanations, and "Examrace" YouTube channel for free videos lectures

Examrace

Examrace 463K

जनगणना नगर वैधानिक शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में परिवर्तित (Census Town Changed Into Statutory Urban Local Bodies)

सुर्ख़ियों में क्यों?

शहरी विकास मंत्रालय ने सभी 28 राज्यों को 3784 जनगणना नगरों को वैधानिक शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में परिवर्तित करने के लिए निर्देश दिया है।

जनगणना नगर क्या है?

एक जनगणना नगर शहरी विशेषताओं से युक्त एक क्षेत्र है यथा:-

- न्यूनतम 5000 की जनसंख्या होना चाहिए।
- गैर कृषि गतिविधियों में लगे हुए पुरुष मुख्य कार्य बल का कम से कम 75 प्रतिशत हिस्सा हो।
- 400 प्रतिवर्ग कि.मी. का जनसंख्या घनत्व होना चाहिए।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनगणना शहरों की कुल संख्या 3,784 थी जबकि 2001 में यह 1,362 थी

वैधानिक शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) क्या हैं?

एक वैधानिक शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) एक नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड (मंडल) या अधिसूचित शहरी क्षेत्र हो सकता है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसे शहरों की संख्या 4041 है जबकि 2001 में यह संख्या 3799 थी।

परिवर्तन की आवश्यकता क्यों हैं?

- योजना बद्ध शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए।
- इसके माध्यम से इन क्षेत्रों के राजस्व प्राप्ति में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों के समग्र विकास के माध्यम से नागरिकों को बहेतर सेवाएं प्रदान करने में सहायता मिलेगी।
- 14 वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार वैधानिक शहरी स्थानीय निकाय केंद्रीय सहायता पाने के हकदार हो जाते हैं।
- अमृत मिशन (नियोग) के तहत, वैधानिक शहरी स्थानीय निकायों की संख्या के आधार पर राज्यों के बीच 50 प्रतिशत राशि आवंटित की जाएगी।